[2014] 6 एस. सी. आर 960

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

बनाम

यू. दिनकर व अन्य

(सिविल अपील संख्या-5854/2014)

दिनांक - 30 जून, 2014

खण्डपीठ:-

[न्यायाधिपति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय,न्यायाधिपति कुरियन जोसेफ]

सेवा कानूनः वेतनमान में संशोधन-प्रत्यर्थी सं.1 को अपीलार्थी महाविद्यालय के उप-पंजीयक के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय वेतनमान 2375-4450 के वेतनमान पर सीधी भर्ती द्वारा पंजीयक के पद के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन। प्रत्यर्थी स.1 3000-4500 रुपये के वेतनमान को निर्धारित करते हुए चयन किया गया और नियुक्ति पत्र जारी किया गया। गलती का पता चलने पर, जांच की गई और प्रतिवादी नं. 1 से स्पष्टीकरण की मांग की गई कि क्यों नियुक्ति पत्र में दिखाए गए वेतनमान में सुधार नहीं किया जाए -जवाब पर विचार करने के बाद सुधार का आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी सं-1 का दावा- वेतनमान का वह विकल्प जो उसके द्वारा नियुक्ति आदेश के तहत-उच्च न्यायालय ने रिट

याचिका को इस आधार पर अनुमति दी कि जांच पूर्वाग्रह से दूषित थी-धारित किया गया-स्वीकृत किया गया कि नियुक्ति आदेश अधिसूचना के अनुसार जारी किया गया था। अतः प्रत्यक्ष भर्ती का प्रत्यर्थी सं। 1 दावा नहीं कर सकता कि उन्हें पंजीयक के पद पर पदोन्नत किया गया था। लिपिक कर्मचारी द्वारा त्रुटिवश शियुक्तश् के स्थान पर श्पदोन्नत और नियुक्तश् शब्दों का उल्लेख करने और उच्चतर वेतनमान दिखाने के लिए - त्रुटि को सुधारने के लिए सक्षम प्राधिकारी-हालाँकि, इससे पहले इस तरह के सुधार के लिए, संबंधित अधिकारी को सूचित करना प्राधिकरण की ओर से अनिवार्य है कि उसकी नियुक्ति के क्रम में कोई गलती है और सक्षम प्राधिकारी सुधार करने का इरादा रखता है -ताकि अधिकारी एक प्रभावी जवाब प्रस्तुत कर सके और दिखा सके कि यह गलती नहीं थी, लेकिन आदेश वास्तविक था तथा कानून के अनुसार था-वर्तमान मामले में, प्राधिकरण द्वारा

प्रत्यर्थी सं 1 को नोटिस दिया था और उनका ध्यान इस गलती की और लाया गया कि उन्हे उच्च वेतनमान 3000- 4500 में त्रुटि पूर्वक दिया गया है- अपीलकर्ता द्वारा नियुक्ती आदेश में सुधार कर सही वेतनमान जो कि 2375-4450 रु.है जो विज्ञापन/अधिसूचना में प्रदान किया गया, के लिए वह हकदार है - प्राकृतिक न्याय।

पक्षपात-याचिका-धारित: पक्षपातपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण याचिका आम तौर पर एक इच्छुक पक्षकार द्वारा उठाई जाती है- न्यायालय कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है, जब तक कि आरोपों की पुष्टि संदेह से परे नहीं की जाती है ,- अपीलार्थी-संस्थान को जब पता चला कि प्रत्यर्थी सं 1 वेतन के उच्च पैमाने पर वेतन प्राप्त कर रहा था वेतन के उस वेतनमान की तुलना में जिसके लिए वह हकदार था-पाँच सदस्यीय जाँच समिति का गठन जांच करने हेतू प्रत्यर्थी सं 2 की अध्यक्षता में किया गया - जहाँ तक प्रतिवादी नं. के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप का संबंध है- वह एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था-इस तरह के आरोप को साबित करने के लिए कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था -समिति के बाकी चार सदस्यों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था-यहां तक कि अन्य सदस्यों को एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था- इसी पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय द्वारा कमेटी के एक व अन्य सदस्यों के संबंध में पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष दिया जाना अपेक्षित नही है।- जिसने विवादक बिंदू को प्रत्यर्थी सं 1 को दिये गये नोटिस के आधार पर निर्धारित किया-न्यायालय ने गलत निर्णय दिया कि जांच पक्षपात से दूषित थी, कि प्रत्यर्थी सं 1 केंद्रीय वेतनमान का हकदार था,को अभिनिर्धारित करने में गलती हुई।

प्रत्यर्थी संख्या 1 को मार्च, 1979 में अपीलार्थी-महाविद्यालय के उप-पंजीयक के रुप में चुना गया और नियुक्त किया गया। जब वह कर्तव्य का

पालन कर रहा था, शिक्षा विभाग ने 5 फरवरी 1988 को एक विज्ञप्ति जारी की,क्षेत्रीय इंजिनियरिंग कॉलेज के प्राचार्यों को वरिष्ठों से जुड़े वेतनमान में संशोधन करने वाले केंद्रीय वेतनमान वाले चौथे वेतन आयोग के प्रशासनिक पद की सिफारिशों के आधार पर जिसे अपीलार्थी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स-संस्थान द्वारा स्वीकार किया गया था।

19 अप्रैल, 1988 को शिक्षा विभाग ने इस आशय का एक और आदेश जारी किया कि गैर-अकादमिक क्षेत्रीय पंजीयक, पुस्तकालयाध्यक्ष और फोरमैन का पद, इंजीनियरिंग कॉलेजों को राज्य में इसी तरह के अन्य संस्थानों में वेतनमान की तुलना में वेतनमान दिया जाएगा। यह निर्धारित था कि लिया कि वर्तमान पदधारी से एक विकल्प लिया जा सकता है चाहे वे केंद्रीय वेतनमान या राज्य वेतनमान का विकल्प चुनना चाहें। 19 अप्रैल, 1988 का आदेश अपीलार्थी संस्थान द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक पदों के संबंध में अपनाया गया और लागू किया गया । प्रत्यर्थी संख्या 1, जो अपीलार्थी-संस्थान में उप पंजीयक के रूप में काम कर रहा था ,ने केंद्रीय वेतनमान का चयन किया।

प्रतिवादी नंबर 1, जो अपीलकर्ता-संस्थान में उप रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत था, ने अपने पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1993 के माध्यम से उप रजिस्ट्रार के पद के संबंध में केंद्रीय वेतनमान का विकल्प चुना।अपीलकर्ता-संस्थान ने 29 जुलाई, 1994 को अधिसूचना संख्या

5295/ईएसटीटी/12/बी1 जारी कर सीधी भर्ती द्वारा रजिस्ट्रार के पद सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रजिस्ट्रार के पद पर लागू वेतनमान 2375-4450 है।उक्त विज्ञापन के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता संस्थान के रजिस्ट्रार के पद के लिए आवेदन किया था। अपीलकर्ता-संस्थान की चयन समिति ने उक्त पद के लिए प्रतिवादी नंबर 1 का चयन किया और नियुक्ति पत्र दिनांक 16 फरवरी, 1995 जारी किया।

नियुक्ति पत्र मे राज्य वेतनमान 2375-4450 रु. के बजाय केंद्रीय वेतनमान 3000-4500 रु.के भुगतान की अधिसूचना थी।

जब अपीलकर्ता-संस्थान को पता चला कि विज्ञापन और नियुक्ति पत्र में विसंगति के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने हक से अधिक वेतन ले रहा है, तो उसने पांच सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की, जिसमें प्रत्यथी संख्या 2 अध्यक्ष के तौर पर और 4 अन्य सदस्य शामिल थे।

जांच समिति की सिफारिश के आधार पर, प्रत्यथी संख्या 1 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्यों, प्रत्यथी संख्या 1 के वेतनमान में जैसा कि नियुक्ति पत्र में दिखाया गया है दिनांक 16 फरवरी 1995 को जारी नियुक्ति पत्र में संशोधन कर 3000-4500 रुपये के वेतनमान को हटाकर उसके स्थान पर 2375-4450 रुपये के वेतनमान को जोड़कर, सुधार नहीं किया जाना

चाहिए। कारण बताओ नोटिस में उनके वेतन को तदनुसार तय करने की भी मांग की गई है और प्रत्यर्थी संख्या1 द्वारा लिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अपीलकर्ता-संस्थान ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर जवाब पर विचार करने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 के वेतनमान में सुधार करने का आदेश जारी किया। तदनुसार, 16 फरवरी, 1995 के नियुक्ति पत्र में उल्लिखित वेतनमान 3000-4500 रुपये को हटा दिया गया और उसके स्थान पर 2375-4450 रुपये का वेतनमान जोड़ दिया गया और उक्त वेतनमान के अनुसार वेतन फिर से निर्धारित किया गया।

प्रत्यर्थी नंबर 1 ने व्यथित होकर उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की और उस वेतनमान का दावा किया जो वह नियुक्ति आदेश के तहत प्राप्त कर रहा था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता-संस्थान ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत प्रत्यर्थी नंबर 1 का वेतनमान राज्य वेतनमान में 2375-4450 रुपये तय किया गया 20 फरवरी,1995 से प्रभावी। उन्हें 7400-12320 रुपये का संशोधित समकक्ष वेतनमान प्रदान किया गया।

व्यथित होकर, प्रतिवादी नंबर 1 ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ता-संस्थान द्वारा राज्य

वेतनमान के आधार पर उसके वेतन को दोबारा तय करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई। हालाँकि पुनर्निर्धारण के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 ने भारत सरकार की 19 जुलाई, 1988 की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी, जिसके तहत नव नियुक्त/भर्ती किए गए व्यक्तियों को राज्य वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता-संस्थान ने 7 फरवरी, 2000 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर प्रतिवादी नंबर 1 से उसे भुगतान किए गए 4,763.50 पैसे के अतिरिक्त वेतन को वापस करने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता-संस्थान ने भी रिट याचिका में एक जवाबी हलफनामा दायर किया जिसमें सभी आरोपों से इनकार किया गया और लगाए गए आदेश को उचित ठहराया गया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस आधार पर अपील की अनुमति दी थी कि जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश में गलती थी, गलती को सुधारने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का था। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई।

अपील को अनुमती देते हुए न्यायालय ने अभिधारित किया कि:

जुलाई, 1994 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा की गई थी। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रजिस्ट्रार के पद पर लागू वेतनमान 2375-4450 रुपये है और संबंधित पदों के लागू समय वेतनमान में मूल वेतन के अलावा, समय-समय पर लागू कर्नाटक सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य भत्ते देय हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 16 जुलाई 1995 द्वारा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया था।

हालांकि, नियुक्ति पत्र में केंद्रीय वेतनमान अन्य भत्ते सहित 3000-4500 रुपये था। [पैरा22]

2. यह प्रतिवादी नंबर 1 का मामला नहीं है कि उसके नियुक्ति पत्र में दर्शाए गए 3000-4500 रुपये के केंद्रीय वेतनमान को संस्थान द्वारा अधिसूचित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 का मामला पदोन्नति का मामला भी नहीं है जिससे वह केंद्रीय वेतनमान का दावा कर सके, जिसे वह उप रजिस्ट्रार के निचले पद पर ले रहा था। प्रतिवादी नंबर 1 का मामला 29 जुलाई, 1994 की अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती का है, प्रतिवादी नंबर 1 यह दावा नहीं कर सकता कि उसे रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया था। नियुक्ति पत्र में, यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को पदोन्नत किया गया है और उन्हें कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सुरथकल के कार्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त

किया गया है। माना कि नियुक्ति आदेश सीधी भर्ती की अधिसूचना के क्रम में जारी किया गया है, इसलिए इसे सीधी भर्ती माना जाना चाहिए। शिनयुक्तश् के स्थान पर शपदोन्नत और नियुक्तश् शब्द का उल्लेख करने और 3000 द4500 रुपये का उच्च वेतनमान दिखाने में लिपिक कर्मचारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यदि कोई गलती हुई है, तो यह हमेशा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गलती को सुधारने के लिए खुला रहता है। हालाँकि, ऐसे सुधार से पहले प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह संबंधित अधिकारी को सूचित करे कि उसके नियुक्ति आदेश में कोई गलती है और सक्षम प्राधिकारी उसे ठीक करना चाहता है ताकि अधिकारी प्रभावी उत्तर प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके। और दिखाएँ कि यह कोई गलती नहीं थी बल्कि आदेश वास्तविक और कानून के अनुसार था।वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने प्रतिवादी नंबर 1 को नोटिस दिया था और उनके ध्यान में लाया था कि उनके नियुक्ति पत्र में एक वास्तविक गलती है और उन्हें गलत तरीके से 3000-4500 रुपये का उच्च वेतनमान दिया गया है। . प्रतिवादी नंबर 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और कोई दलील नहीं दी कि उसने सीधी भर्ती की अधिसूचना के अनुसार आवेदन नहीं किया है, लेकिन उसके मामले पर पदोन्नति के माध्यम से विचार किया गया था।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि सक्षम प्राधिकारी के पास संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को उचित अवसर देने के बाद नियुक्ति के क्रम में कोई गलती होने पर उसे सुधारने की अंतर्निहित

शक्ति है। उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर हम मानते हैं कि अपीलकर्ता ने उस सही वेतनमान को प्रतिस्थापित करके नियुक्ति पत्र को सही करने में कोई त्रुटि नहीं की है जिसके लिए प्रतिवादी नंबर 1 हकदार था यानी 2375-4450 जैसा कि 29 जुलाई 1994 के विज्ञापन/अधिसूचना में दिया गया है। [पैरा 23 से 27]

3. पूर्वाग्रह या दुर्भावनापूर्ण याचिका आम तौर पर एक इच्छुक पक्ष द्वारा उठाई जाती है, न्यायालय तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता जब तक कि आरोप संदेह से परे प्रमाणित न हो जाएं। इस संबंध में,जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप का सवाल है, हालांकि उन्हें एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। ऐसे आरोप को प्रमाणित करने के लिए कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था। अपीलकर्ता-संस्थान को जब पता चला कि प्रतिवादी नंबर 1 उस वेतनमान से अधिक वेतनमान में वेतन ले रहा है जिसके लिए वह हकदार है तो उसने मामले की जांच के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। हालांकि प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया गया है, लेकिन समिति के बाकी चार सदस्यों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यहां तक कि अन्य सदस्यों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय के लिए समिति के किसी एक या अन्य सदस्य के खिलाफ पूर्वाग्रह का पता लगाना संभव नहीं था, जिसने इस मुद्दे का निर्णय लिया था जिसके अनुसार प्रतिवादी नंबर 1

को नोटिस जारी किया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह गलत ठहराया कि जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, लेकिन यह मानने में गलती हुई कि प्रतिवादी नंबर 1 केंद्रीय वेतनमान का हकदार था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिया गया विवादित निर्णय अपास्त किया गया। [पैरा 28, 29]

2 एस. सी. सी. 119: 2007 (13) एससीआर 624 - संदर्भित किया गया।

निर्णयज विधि संदर्भ

2007 (13) एस. सी. आर. 624 पैरा 28 को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 5854/2014

कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलोर के डब्ल्यू. ए. संख्या.1030/2006 में दिनांकित 08.11.2011 निर्णय और आदेश से।

एच. पी. रावल, अनिरुद्ध शर्मा, दिव्या आनंद अपीलार्थी की और से

पी विश्वनाथ शेट्टी, शैलेश मडियाल, महेश कुमार प्रत्यर्थीगण की और से

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय** द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गयी

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर द्वारा 2006 की रिट अपील संख्या 1030 में पारित 8 नवंबर, 2011 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। आक्षेपित फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया। .1 और माना गया कि वह केंद्रीय वेतनमान का हकदार है और इस तरह के वेतनमान से इनकार करना कानूनन बुरा होगा।

3. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:

प्रतिवादी नंबर 1 को मार्च, 1979 में कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सूरतकल (अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक के रूप में जाना जाता है) के उप रजिस्ट्रार के रूप में चुना और नियुक्त किया गया था।

जब वह शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। विकास, भारत सरकार ने सभी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (श्रीनगर और जयपुर को छोड़कर) के प्राचार्यों को 5 फरवरी, 1988 को सं.एफ.सं.ए 11014/2/87/टी-4 दिनांकित एक पत्र जारी किया, जिसमें संलग्न वेतनमान को संशोधित किया गया। 01.01.1986 से चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय वेतनमान वाले वरिष्ठ प्रशासनिक पद। इसके बाद, अपीलकर्ता-संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने

वरिष्ठ प्रशासनिक पदों से जुड़े वेतनमान में संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकल्प लिया।

4. 19 अप्रैल, 1988 को शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस आशय का एक और आदेश जारी किया कि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन और फोरमैन के गैर-शैक्षणिक पद को राज्य वेतन दिया जाए। राज्य में समान अन्य संस्थानों में वेतनमान के बराबर वेतनमान। यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान पदाधिकारियों से यह विकल्प मांगा जा सकता है कि वे केंद्रीय वेतनमान या राज्य वेतनमान का विकल्प चुनना चाहेंगे या नहीं। जो लोग केंद्रीय वेतनमान का विकल्प चुन सकते हैं, उनके पदों को राज्य के वेतनमान में शामिल किया जा सकता है, जब पद पर वर्तमान पदाधिकारी नौकरी छोड़ देते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। समय के साथ सभी पद राज्य वेतनमान में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार नये पदाधिकारियों को राज्य वेतनमान देने का आदेश दिया गया। 19 अप्रैल, 1988 के आदेश का प्रासंगिक उद्धरण, जो इस अपील के निर्णय के लिए आवश्यक है, इस प्रकार है:

> *"बैठक में यह देखा गया कि आरईसी में रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन और फोरमैन के गैर-शैक्षणिक पद पर पदधारी हैं। केंद्रीय वेतनमान, राज्य सरकार की दरों पर डीए और अन्य भत्ते प्राप्त करना। इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और*

यह देखा गया कि इन पदों पर पदासीन लोगों की भर्ती ज्यादातर स्थानीय स्तर पर की जाती है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनाम यू. दिनकर [न्यायाधिपति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय]

तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि इन सभी पदों पर पदस्थापितों को आरईसी के आकार और तदनुसार सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के समान अन्य संस्थानों में वेतनमान के बराबर राज्य वेतनमान दिया जा सकता है और राज्य वेतनमान और राज्य सरकार के भत्ते दिए जा सकते हैं। इस निर्णय को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान पदाधिकारियों से एक विकल्प मांगा जा सकता है कि क्या वे केंद्रीय वेतनमान या राज्य वेतनमान का विकल्प चुनना चाहेंगे। हालाँकि, जो लोग केंद्रीय वेतनमान का विकल्प चुनते हैं, उन पदों को राज्य के वेतनमान में तब शामिल किया जा सकता है जब पदों पर वर्तमान पदाधिकारी नौकरी छोड़ देते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार समय आने पर इन सभी पदों को राज्य वेतनमान में परिवर्तित कर दिया जाएगा।"

5. अपीलकर्ता के अनुसार, उपरोक्त आदेश दिनांक 19 अप्रैल, 1988 को अपीलकर्ता-संस्थान में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों के संबंध में अपनाया और लागू किया गया था।

6. शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने 23 जून, 1990 को एक आदेश जारी कर भारत सरकार की 5 फरवरी, 1988 की अधिसूचना को मंजूरी दे दी और मौजूदा पदाधिकारियों को या तो केंद्रीय वेतनमान में बने रहने या विकल्प चुनने का विकल्प दिया। राज्य वेतनमान के लिए. इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि इसमें सुझाया गया राज्य वेतनमान भविष्य के पदाधिकारियों पर लागू होगा, जिन्हें जब भी नियुक्त किया जाएगा, मौजूदा पदाधिकारी संबंधित पदों पर नहीं रहेंगे। 23 जून, 1990 के पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सुरथकल में उपरोक्त किसी भी शैक्षणिक पद का भुगतान न करें, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के कॉलम 4 में दर्शाया गया है:

क्रमांक	पदों के नाम	वर्तमान स्वीकृत वेतनमान (वेतन से प्रभावी)	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतनमान, 1986
1.	रजिस्ट्रार	रु. 3000-100-3500-125-4500	रु. 2200-5-2300-75-2900-90-

			2350-100-3950-120-4070
2.	कार्यशाला अधीक्षक	रु. 3000-100-3500-125-4500	रु. 2200-5-2300-75-2900-90-2350-100-3950-120-4070
3.	डिप्टी रजिस्ट्रार	रु. 2200-75-2800-EB-100-4500	रु.1900-50-2300-75-2900-3350-100-3650
4.	लाइब्रेरियन	रु. 2200-075-2800-EB-100-4000	रु.1900-50-2300-75-2900-3350-100-3650

7. प्रतिवादी नंबर 1, जो अपीलकर्ता-संस्थान में उप रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत था, ने अपने पत्र दिनांक 7 जुलाई, 1993 के माध्यम से उप रजिस्ट्रार के पद के संबंध में केंद्रीय वेतनमान का विकल्प चुना।

8. इस दौरान रजिस्ट्रार पद समेत कई पद खाली हो गये. इसलिए, अपीलकर्ता-संस्थान ने 29 जुलाई, 1994 को अधिसूचना संख्या 5295/ईएसटीटी/12/बी1 जारी कर सीधी भर्ती द्वारा रजिस्ट्रार के पद सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रजिस्ट्रार के पद पर लागू वेतनमान 2375-75-200-100-3700-125-4450 रुपये है और संबंधित पदों के लागू समय वेतनमान में मूल वेतन के अलावा, स्वीकार्य है। समय-समय पर लागू कर्नाटक सरकार के नियमों के अनुसार भत्ते देय हैं। 29 जुलाई 1994 के विज्ञापन का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"4. रजिस्ट्रार: 1 पद (प्रिंसिपल कार्यालय) (वेतनमान रु. 2375-75-200-100-3700-125-4450)

द्वितीय. आवश्यक योग्यता/अनुभव/विशेषज्ञता का विवरण:

xxx xxx xxx xxx xxx

सामान्य निर्देश:

यदि विज्ञापित पद के लिए कोई उम्मीदवार उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे अगले निचले पद की पेशकश की जा सकती है, यदि वह निचले पद के लिए उपयुक्त पाया जाता है।

xxx xxx xxx xxx xxx

चतुर्थ. संबंधित पदों के लागू समय वेतनमान में मूल वेतन के अलावा, समय-समय पर लागू कर्नाटक सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य भत्ते देय हैं।"

9. उक्त विज्ञापन के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 ने अपीलकर्ता संस्थान के रजिस्ट्रार के पद के लिए आवेदन किया था। अपीलकर्ता-संस्थान की चयन समिति ने उक्त पद के लिए प्रतिवादी नंबर 1 का चयन किया और नियुक्ति पत्र संख्या 5487/ईएसटीटी/1994/91 दिनांक 16 फरवरी, 1995 जारी किया।

10. चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 पहले से ही अपीलकर्ता-संस्थान में उप रजिस्ट्रार का पद संभाल रहा था। आरोप है कि उन्होंने अपीलकर्ता-संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य के वेतनमान 2375-75 रुपये के बजाय केंद्रीय वेतनमान यानी 3000-100-3500-125-4500 रुपये निर्धारित करने वाला नियुक्ति पत्र जारी किया।

2900-100-3700-125-4450 जैसा विज्ञापन अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 1994 में दिया गया है।

11. जब अपीलकर्ता-संस्थान को पता चला कि विज्ञापन और नियुक्ति पत्र में विसंगति के कारण प्रतिवादी नंबर 1 अपने हकदार से अधिक वेतन ले रहा है, तो उसने पांच सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की, जिसमें प्रतिवादी शामिल थे। मामले को देखने के लिए यहां नंबर 2 पर अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं। जांच समिति ने प्रतिवादी नंबर 1 को 23 जनवरी, 1998 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और उपरोक्त विसंगति के लिए स्पष्टीकरण मांगा। बाद में, अपीलकर्ता-संस्थान द्वारा 9

फरवरी, 1999 को प्रतिवादी नंबर 1 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी नंबर 1 ने 15 फरवरी, 1999 को जवाब भेजा। जांच समिति ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया और प्रस्तुत किया 24 फरवरी, 1999 की एक रिपोर्ट जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई।

12. 24 फरवरी, 1999 की जांच समिति की सिफारिश के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 1 को 10 मई, 1999 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 का वेतनमान क्यों दिखाया गया है। उन्हें जारी नियुक्ति पत्र दिनांक 16 फरवरी 1995 में संशोधन कर 3000-4500 रुपये के वेतनमान को हटाकर उसके स्थान पर 2375-4450 रुपये के वेतनमान को जोड़कर नियुक्ति पत्र में सुधार नहीं किया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस में उनके वेतन को तदनुसार तय करने की भी मांग की गई है और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

13. 5 जून, 1999 को प्रतिवादी नंबर 1 ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 मई, 1999 का जवाब प्रस्तुत किया।

14. इसके बाद, 6 जुलाई, 1999 को अपीलकर्ता-संस्थान ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर जवाब पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 के वेतनमान में सुधार करने का आदेश जारी किया।

तदनुसार, 16 फरवरी, 1995 के नियुक्ति पत्र में उल्लिखित वेतनमान 3000-4500 रुपये को हटा दिया गया और उसके स्थान पर 2375-4450 रुपये का वेतनमान जोड़ दिया गया और उक्त वेतनमान के अनुसार वेतन फिर से निर्धारित किया गया।

15. अपीलकर्ता-संस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 जुलाई, 1999 से व्यथित होकर, प्रतिवादी नंबर 1 ने उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की और उस वेतनमान का दावा किया जो वह नियुक्ति आदेश के तहत प्राप्त कर रहा था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी 128 वीं बैठक दिनांक 30 सितंबर, 1999/13 अक्टूबर, 1999 में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और 6 जुलाई, 1999 के वेतनमान सुधार आदेश को बरकरार रखा।

16. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता-संस्थान ने 13 अक्टूबर, 1999 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 1 का वेतनमान राज्य वेतनमान में 2375-75-2900-100-3700-125-4450 रुपये तय किया गया जो 20 फरवरी, 1995 से प्रभावी। उन्हें 7400-200-

8800-260-10880-320-12320 रुपये का संशोधित समकक्ष वेतनमान प्रदान किया गया।

17. व्यथित होकर, प्रतिवादी नंबर 1 ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 40037/1999 दायर की, जिसमें अपीलकर्ता-संस्थान द्वारा राज्य वेतनमान के आधार पर उसके वेतन को दोबारा तय करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई। हालाँकि पुनर्निर्धारण के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 ने भारत सरकार की 19 जुलाई, 1988 की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी, जिसके तहत नव नियुक्त/भर्ती किए गए व्यक्तियों को राज्य वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता-संस्थान ने 7 फरवरी, 2000 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर प्रतिवादी नंबर 1 से उसे भुगतान किए गए 4,763.50 पैसे के अतिरिक्त वेतन को वापस करने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता-संस्थान ने भी रिट याचिका में एक जवाबी हलफनामा दायर किया जिसमें सभी आरोपों से इनकार किया गया और लगाए गए आदेश को उचित ठहराया गया।

18. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 30 मई, 2006 के फैसले और आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया।

19. बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ने 2006 की रिट अपील संख्या 1030 को प्राथमिकता दी, जिसे 8 नवंबर, 2011 के आक्षेपित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी।

20. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पूर्वाग्रह की कोई दलील नहीं दी थी, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 30 मई, 2006 के फैसले और आदेश से स्पष्ट है। हालाँकि, ऐसी याचिका डिवीजन बेंच के समक्ष रखी गई थी, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर रिट अपील की अनुमति दी थी कि जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश में गलती थी, गलती को सुधारने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का था।

21. दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1 का आधार यह है कि उसे सही तरीके से केंद्रीय वेतनमान दिया गया था, लाभ वापस लेने का आदेश अवैध है।

22. रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति संस्थान द्वारा अधिसूचना संख्या 5295/ईएसटीटी/12/बी1 दिनांक 29 जुलाई, 1994 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा की गई थी। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रजिस्ट्रार के पद पर लागू वेतनमान है 2375-75-200-100-3700-125-4450 रुपये

और संबंधित पदों के लागू समय वेतनमान में मूल वेतन के अलावा, समय-समय पर लागू कर्नाटक सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य भत्ते देय हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को पत्र संख्या 5487/ईएसटीटी/1994/91 दिनांक 16 जुलाई 1995 द्वारा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, नियुक्ति पत्र में केंद्रीय वेतनमान 3000-100-3500-125-4500 रुपये था। इसके सहित अन्य भत्ते बताए गए।

23. यह प्रतिवादी नंबर 1 का मामला नहीं है कि उसके नियुक्ति पत्र में दर्शाए गए 3000-4500 रुपये के केंद्रीय वेतनमान को संस्थान द्वारा अधिसूचित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 का मामला भी पदोन्नति का मामला नहीं है ताकि वह केंद्रीय वेतनमान का दावा कर सके, जिसे वह उप रजिस्ट्रार के निचले पद पर ले रहा था।

प्रतिवादी नंबर 1 का मामला 29 जुलाई, 1994 की अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती का है, प्रतिवादी नंबर 1 यह दावा नहीं कर सकता कि उसे रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया था। नियुक्ति पत्र में, यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 अर्थात “श्री. यू. दिनाकर को पदोन्नत किया गया है और उन्हें कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सुरथकल के कार्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

24. हमारा इस प्रश्न पर जाने का इरादा नहीं है कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 ने हेरफेर करके नियुक्ति पत्र में पदोन्नत शब्द डाला है। माना कि नियुक्ति आदेश सीधी भर्ती की अधिसूचना के क्रम में जारी किया गया है, इसलिए इसे सीधी भर्ती माना जाना चाहिए। श्नियुक्तश् के स्थान पर 'पदोन्नत और नियुक्त' शब्द का उल्लेख करने और 3000-100-3500-125-4500 रुपये का उच्च वेतनमान दिखाने में लिपिक कर्मचारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यदि कोई गलती हुई है, तो यह गलती को सुधारने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास हमेशा खुला रहता है।

25. हालाँकि, ऐसे सुधार से पहले प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह संबंधित अधिकारी को सूचित करे कि उसके नियुक्ति आदेश में कोई गलती है और सक्षम प्राधिकारी उसे ठीक करना चाहता है ताकि अधिकारी प्रभावी उत्तर प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके। और दिखाएँ कि यह कोई गलती नहीं थी बल्कि आदेश वास्तविक और कानून के अनुसार था।

26. वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने प्रतिवादी नंबर 1 को नोटिस दिया था और उनके ध्यान में लाया था कि उनके नियुक्ति पत्र में एक वास्तविक गलती है और उन्हें गलत तरीके से 3000-4500 रुपये का उच्च वेतनमान दिया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और कोई दलील नहीं दी कि उसने सीधी भर्ती की अधिसूचना के अनुसार आवेदन नहीं किया है, लेकिन उसके मामले पर पदोन्नति के माध्यम से

विचार किया गया था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि सक्षम प्राधिकारी के पास संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को उचित अवसर देने के बाद नियुक्ति के क्रम में कोई गलती होने पर उसे सुधारने की अंतर्निहित शक्ति है।

27. उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर हम मानते हैं कि अपीलकर्ता ने उस सही वेतनमान को प्रतिस्थापित करके नियुक्ति पत्र को सही करने में कोई त्रुटि नहीं की है जिसके लिए प्रतिवादी नंबर 1 हकदार था यानी 2375-75- 2900-100-3700 रुपये -125-4450 जैसा कि 29 जुलाई 1994 के विज्ञापन/अधिसूचना में दिया गया है।

28. पूर्वाग्रह या दुर्भावनापूर्ण याचिका आम तौर पर एक इच्छुक पक्ष द्वारा उठाई जाती है, न्यायालय तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता जब तक कि आरोप संदेह से परे प्रमाणित न हो जाएं। इस संबंध में, कोई एमवी थिमैया और अन्य बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य (2008) 2 एससीसी 119 के फैसले का हवाला दे सकता है। जहां तक डॉ. बलवीरा रेड्डी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप का सवाल है, हालांकि उन्हें एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। ऐसे आरोप को प्रमाणित करने के लिए कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था। अपीलकर्ता-संस्थान को जब पता चला कि प्रतिवादी नंबर 1 उस वेतनमान से अधिक वेतनमान में वेतन ले रहा है जिसके लिए वह हकदार है तो उसने मामले की जांच के लिए डॉ.

बलवीरा रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। हालांकि डॉ. बलवीरा रेड्डी के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया गया है, लेकिन समिति के बाकी चार सदस्यों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यहां तक कि अन्य सदस्यों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय के लिए समिति के किसी एक या अन्य सदस्य के खिलाफ पूर्वाग्रह का पता लगाना संभव नहीं था, जिसने इस मुद्दे का निर्णय लिया था जिसके अनुसार प्रतिवादी नंबर 1 को नोटिस जारी किया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह गलत ठहराया कि जांच पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, लेकिन यह मानने में गलती हुई कि प्रतिवादी नंबर 1 केंद्रीय वेतनमान का हकदार था।

29. उपरोक्त कारणों से, हम 2006 की रिट अपील संख्या 1030 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 8 नवंबर, 2011 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं। अपील स्वीकार की गई। कोई खर्चा नहीं।

देविका गुजराल

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश कुमार दड़िया आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।